


(2)


फर्द अहकाम  
( नियम 26 )

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )**

शम्भूदयाल बनाम सूजीराम वगै.  
किरम मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा  
मुकदमा नम्बर : 59/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है।</p> <p>प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :-</p> <p><b>प्रथम दृष्टया मामला :</b> पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्बत् 2071-2074 (वर्ष 2023 से स्थायी) अनुसार ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1033, 407, 488 लगायत 496, 5215, 5216 कुल किता 13 कुल रकबा 6.32 है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं गिराज पुत्र कल्याण जाति गूजर, मूल्या पुत्र ग्यारसा जाति गूजर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में गिराज पुत्र कल्याण जाति गूजर एवं मूल्या पुत्र ग्यारसा जाति गूजर को फौत होना एवं इनके कोई सन्तान नहीं होना बताया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में साबित होता है।</p> <p><b>सुविधा का सन्तुलन :</b> प्रार्थीगण द्वारा इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली में तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार प्रश्नगत आराजी प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं गिराज पुत्र कल्याण जाति गूजर, मूल्या पुत्र ग्यारसा जाति गूजर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में गिराज पुत्र कल्याण जाति गूजर एवं मूल्या पुत्र ग्यारसा जाति गूजर को फौत होना एवं इनके कोई सन्तान नहीं होना बताया है। अतः सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में साबित होता है।</p> <p><b>अपूर्णय क्षति :</b> प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन</p>	

एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1033, 407, 488 लगायत 496, 5215, 5216 कुल किता 13 कुल रकबा 6.32 है. के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभय पक्ष (प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6) को इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा पत्रावली के हमफीता रहे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीसा (राजग)